[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
(COMMITTEES)

Notification

The 3rd March, 2014

No. S.O. 38/H.A. 16/1994/S. 87/2014.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/ 1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013,—

1. In para 2, in item F, after sub-para (xi),the following sub-paras shall be inserted, namely:–

"(xii) **Petrol Pump:** 50% of Commercial Property Tax rate for both A1 and A2 cities, respectively;

(xiii) **I.T. Park, Cyber City/ Park:** 50% of Commercial Space rate for both A1 and A2 cities, respectively.".

2. In para 3, after sub-para (v),the following sub-paras shall be inserted, namely:–

"(vi) 100% rebate till 31st March, 2016, shall be given to properties situated in 'Lal Dora' of those villages, which have come in the limits of Municipal Corporations on or after 1st April,2010,

(vii) 50% rebate shall be given on the flats up to 2000 square feet.".

3. In para 4,—

(a) in sub-para (ii), for the figures, words and sign "10th December, 2013," the figures, words and sign, "31st March,2014" shall be substituted.

(b) in sub-para (iv), for the figures, words and sign "10th December, 2013," the figures, words and sign,"31st March,2014" shall be substituted.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

भाग - III

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

(समितियां)

अधिसूचना

दिनांक 3 मार्च, 2014

संख्या का०आ० 38/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2014.—हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का०आ० 85 / ह० अ० 16 / 1994 / धा० 87 / 2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् –

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (संमितियां), अधिसूचना संख्या का० आ० 85 / ह० अ० 16 / 1994 / धा० 87 / 2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में,–

1. पैरा 2 में, मद ऊ में, उप पैरा (xi) के बाद, निम्नलिखित उप– पैरे रखे जायेंगे, अर्थात्:–

"(xii) **पेट्रोल पम्पः** क्रमशः ए1 तथा ए2 दोनों शहरों के लिए वाणिज्यिक सम्पत्ति कर दर का 50 प्रतिशत।

(xiii) **आई टी पार्क, साइबर सिटी / पार्कः** क्रमशः ए1 तथा ए2 दोनों शहरों के लिए वाणिज्यिक स्थान दर का 50 प्रतिशत।"।

2. पैरा 3 में, उप–पैरा (v) के बाद, निम्नलिखित उप–पैरे रखे जायेंगे, अर्थात् :–

"(vi) दिनांक 31 मार्च, 2016 तक शत् प्रतिशत छूट उन गांवों के 'लाल डोरा' में स्थित सम्पतियों को दी जाएंगी, जो दिनांक प्रथम अप्रैल, 2010, को या इसके बाद नगरनिगमों की सीमाओं में आती है।

(vii) 2000 वर्ग फुट तक के फ्लैट्स को 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी।"।

3. पैरा 4,–

(क) उप पैरा (ii) में, "10 दिसम्बर, 2013" अंकों, शब्द तथा चिह्न के स्थान पर "31 मार्च, 2014" अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ख) उप पैरा (iv) में, "10 दिसम्बर, 2013" अंकों, शब्द तथा चिह्न के स्थान पर, "31 मार्च, 2014" अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

पी० राघवेन्द्र राव,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।